क्रमांक तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर० एम० ए० वाद संख्या 32 /2016–17

जयन्त कुमार घोष –बनाम– मो० सहजाद जफर

–: आदेश :–

26/08/2017

यह अपील वाद अपीलार्थी जयन्त कुमार घोष पिता– स्व. जगदीशचन्द्र घोष सा०– माधव कुटीर बंगाली टोला पो०+थाना– साहेबगंज की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के नापी वाद संख्या 01/2016–17 (मो० शहजाद जफर –बनाम– जयन्त कुमार घोष) में दिनांक 20.08.2016/23.09.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

यह मामला मौजा– साहेबगंज काकरोटिया नं० 20 जमाबंदी नं० 296 दाग नं० 674 कुल रकवा 00.01.19½ धुर जमीन जिसमें मकान निर्मित है। उत्तरवादी द्वारा नापी कराकर दिवाल बनाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। जिसपर न्यायालय के ज्ञापांक 82/डी० बी, दिनांक 30.5.2016 के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, साहेबगंज को उक्त भूमि से संबंधित पक्षकारों के समक्ष नापी कराकर प्रतिवेदन की मांग की गयी। नामी वाद के कार्यवाही के कम में अपीलार्थी द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, साहेबगंज के नापी प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध में अपीलार्थी द्वारा यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी एवं उत्तरवादी को सुना। अपीलार्थी का कथन है कि गलत रूप से नापी कर मेरा कुआँ एवं दिवाल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यह भूमि खासमहल क्षेत्र की है। भूमि विकी अनुमति के बिना बिक्री करना अवैध है। उत्तरवादी द्वारा गलत रूप से भूमि को क्रय किया गया है, जिसका टाईटल सूट नं० 34/2009 अपीलार्थी द्वारा व्यवहार न्यायालय में दायर किया गया। उक्त वाद में उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित हुआ है, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में उनके द्वारा Civil Revision N. 20/2016 (जयन्त कुमार घोष –बनाम– मो० तारिक जफर एवं अन्य) का मामला दायर किया गया, जो वर्त्तमान में अन्तिम निर्णय हेतु लंबित है। इसी बीच अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा नापी आदेश पारित कर मेरा दीवाल एवं कुआँ की क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि नापी वाद के कार्यवाही के कम में उनके द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया कि टाईटल सूट में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती वाद दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पश्चात् नापी वाद पर कार्यवाही किया जाय। उनका कथन है कि क्रय किये गये भूमि संयुक्त सम्पत्ति है। किसी एक के

Scanned with CamScanner

ादेश की कमांक एवं तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2

द्वारा बिक्री नहीं किया जा सकता है। भूमि 1. प्रफुल्ल चन्द्र घोष 2.गोपाल चन्द्र घोष 3. जगदीश चन्द्र घोष 4. जातीश चन्द्र घोष की है। अपीलार्थी स्व0 जगदीश चन्द्र घोष के पुत्र हैं। उक्त मकान के अन्दर सभी पक्षों का बराबर का दावा बनता है। उत्तरवादी वर्ष 2009 में गुप्त रूप से एक पक्ष से एकरारनामा कराकर दखल कर लिये है एवं गलत नापी कर काफी क्षति पहुँचाया गया है। अनुरोध है कि अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा नापी आदेश को रद्द किया जाय।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि मौजा. साहेबगंज काकरोटिया नं0 29 हल्का नं0 10 जमाबंदी नं0 296 (नया 23क एवं 22ख) दाग नं0 674 कुल रकवा 00.01.19½ धुर जमीन जिसमें मकान निर्मित है। उत्तरवादी वर्ष 2009 में क्रय किया उसी समय से दखल कब्जा में है। क्रय किये जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा व्यवहार न्यायालय में टाईटल सूट वाद दायर कर उत्तरवादी को पार्टी बनाया। उक्त वाद में सभी बिन्दुओं पर सुनकर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2016 को उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित कर डिक्रीसीट निर्गत किया गया। उक्त आदेश की सच्चि प्रतिलिपि के आधार पर जमीन सीमांकन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के न्यायालय में नापी वाद संख्या 01/2016–17 (मो0 शहजाद जफर –बनाम– जयन्त कुमार घोष) दायर किया गया। उक्त आवेदन की कार्रवाई हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगज नगर परिषद को आदेश ज्ञापांक 87 दिनांक 30.05.2016 द्वारा दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा सुचारू रूप से नापी कराकर नापी प्रतिवेदन उनके पत्रांक 1170 दिनांक 15.06.2016 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजा गया। अपीलार्थी का दावा गलत है कि गलत रूप से क्रय किया है, जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय द्वारा हो चुका है। अपीलार्थी का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया है इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। अतः इसे खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना। साथ ही अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का दावा है कि विवादित भूमि का आपसी बंटननामा नहीं हुआ है। यह भूमि संयुक्त रूप से है। विपक्षी बैधनाथ घोष से अनिबंधित दस्तावेज से क्रय किया गया है। जबकि भूमि पर पक्का मकान बना हुआ है एवं उक्त मकान में चार हिस्सेदार है। मकान खासमहल मैनुवल के क्षेत्र अन्तर्गत है। खासमहल मैनुवल के नियम को उलंधन कर क्रय विक्रय किया गया है। यह मकान विक्रेता से गोपनीय रूप से क्रय किया गया है। जब तक सभी हिस्सेदारों के बीच आपसी बटवारा नहीं हो जाता है तब तक विपक्षी का अनिबंधित दस्तावेज को मान्यता नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि खासमहल मैनुवल का प्रावधान है। अनुरोध किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के दिनांक 20.08.2016/23.09.2016 को पारित आदेश को रद्द किया जाय।

विपक्षी द्वारा अपने दावा में टाईटल सूट के आदेश दिनांक 05.03.2016 को आधार मानकर नापी कराया गया है, जबकि अपीलार्थी टाईटल सूट के आदेश ...

Scanned with CamScanner

क्रमांक थि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	2 विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दायर किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को तत्काल कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए था। चुँकि विवादित भूमि पर मकान बना हुआ है। खाली भूमि नहीं है। विपक्षी द्वारा खासमहल के नियमानुसार क्रय–विक्रय से संबंधित कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि क्रय–विक्रय में खासमहल नियम का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के नापी वाद संख्या 1/2016–17 (मो0 शहजाद जफर –बनाम– जयंत कुमार घोष) में दिनांक 20.08.2016/23.09.2016 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है तथा अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को दिखावें। लेखापित एवं संशोधित [signature] उपायुक्त, 26/8/17 साहेबगंज। [signature] 26/8/17 उपायुक्त, साहेबगंज।	